संख्या-03/2019/1325/22-2-2018-17(288)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2019***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार पुत्र रामभरोसे यादव, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार पुत्र रामभरोसे यादव, जो गोकुलपुर मजरा-हलपुरा, थाना-दन्नाहार, जिला-मैनपुरी का रहने वाला है। बंदी ने नाद **(जानवरों के भोजन का पात्र)** हटाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 31.08.2008 को सांय लगभग 05:00 बजे अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल से फायर कर संजू नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-56/2003 भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 27.11.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2018 तक 15 वर्ष 04 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी ने नाद **(जानवरों के भोजन का पात्र)** हटाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 31.08.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल से फायर कर संजू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट अनुसार बन्दी की आयु-58 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमकार पुत्र रामभरोसे यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओमकार बन्दी संख्या-(17527 पुत्र रामभरोसे यादव, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-03/2019/1325(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-03/2019/1325/22-2-2018-17(288)/2018

दिनांक 07 जनवरी, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार पुत्र रामभरोसे यादव, जो गोकुलपुर मजरा-हलपुरा, थाना-दन्नाहार, जिला-मैनपुरी का रहने वाला है। बंदी ने नाद **(जानवरों के भोजन का पात्र)** हटाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 31.08.2008 को सांय लगभग 05:00 बजे अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल से फायर कर संजू नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-56/2003 भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 27.11.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2018 तक 15 वर्ष 04 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी ने नाद **(जानवरों के भोजन का पात्र)** हटाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 31.08.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल से फायर कर संजू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट अनुसार बन्दी की आयु-58 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमकार पुत्र रामभरोसे यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in